# न्यायालय जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर

**प्रा.पत्र मुत.(मुन्तकली) संख्या– 20/19** **सन् 2019**

**आरसीएमएस संख्या 2019/00107**

बउनवानी :– अमर सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह जाति राजपूत निवासी बाढकलां तह0 गंगापुर सिटी

बनाम

1. जगदीश पुत्र प्रहलाद सिंह जाति राजपूत निवासी बाढकलां तहसील गंगापुर सिटी
2. दशरथ सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह जाति राजपूत निवासी बाढकलां तहसील गंगापुर सिटी
3. मूल सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह जाति राजपूत निवासी बाढकलां तहसील गंगापुर सिटी
4. महेन्द्र सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह जाति राजपूत निवासी बाढकलां तहसील गंगापुर सिटी
5. नेन सिंह पुत्र उम्मेद सिंह जाति राजपूत निवासी बाढकलां तहसील गंगापुर सिटी
6. लाल सिंह पुत्र नेन सिंह जाति राजपूत निवासी बाढकलां तहसील गंगापुर सिटी
7. हरप्यारी पत्नि रामस्वरूप जाति बैरवा निवासी बाढकलां तहसील गंगापुर सिटी
8. आई.सी.आई.सी. बैंक जरिये मैनेजर शाखा गंगापुर सिटी
9. पंजाब नेशनल बैंक जरिये मैनेजर शाखा गंगापुर सिटी मिर्जापुर
10. यूनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया जरिये मैनेजर शाखा गंगापुर सिटी
11. सरकार जरिये तहसीलदार गंगापुर सिटी
12. श्री विजेन्द्र मीना, उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी

(मुन्तकली प्रार्थना पत्र विरूद्ध उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी मे जैरकार प्रकरण सख्या दावा संख्या 87/2019 एवं टी.आई प्रार्थना पत्र 51/2019 उनवानी अमर सिंह बनाम जगदीश सिंह अन्तर्गत धारा 235 आर.टी.ऐक्ट)

उपस्थितः 1. श्री श्याम मोहन शर्मा वकील प्रार्थीगण

2. श्री धीरेन्द्र पाल सिंह वकील अप्रार्थीगण

**–: निर्णय :–** **दिनांक 27.11.2019**

वकील प्रार्थी ने न्यायालय उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी में विचाराधीन प्रकरण सख्या दावा संख्या 87/2019 एवं टी.आई प्रार्थना पत्र 51/2019 उनवानी अमर सिंह बनाम जगदीश सिंह के सम्बन्ध में अन्तर्गत धारा 235 आर.टी.ऐक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने बाबत इस्तदुआ की है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत से प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों के सम्बन्ध में टिप्पणी तलबी की गयी साथ ही सम्बन्धित विपक्षीगणों की सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

तत्पश्चात् बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना में उल्लेखित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि प्रार्थी ने एक वाद पत्र बाबत बटवारा व अस्थायी निषेधाज्ञा का तहत न्यायालय में प्रस्तुत किया था जिसमे आगामी तारीख पेशी दिनांक 20.9.2019 नियत थी । माननीय तहत न्यायालय के पीठासीन अधिकारी महोदय द्वारा प्रकरण की न्यायिक प्रक्रिया अनुरूप कार्यवाही सम्पादित नही की जा रही है तथा येनकेन प्रकरण जल्दबाजी में प्रार्थी का टी.आई. प्रा0पत्र निर्णित कर प्रार्थी के पक्ष मे जारी निषेधाज्ञा को निरस्त करने पर अमादा है। इसका सबसे बढा प्रमाण यह है कि अभी प्रा0पत्र मे अप्रार्थीगणों की तलबी पूर्ण नही हुई है तीन दिवस पूर्व नियत तारीख पेशी पर मूल सिंह द्वारा वकलातानामा मय जवाब पेश किया है उसी दिन कोर्ट मे पीठासीन अधिकारी द्वारा कहा कि टी.आई. की बहस करों मे इसमे शीघ्र निर्णय करूंगा। जबकि न्यायिक प्रक्रिया के तहत सभी विपक्षीगण की तलवी के पश्चात ही बहस सुनी जाकर निर्णय पारित किया जाना चाहिए। जब प्रार्थी गावं पहुँचा तो अप्रार्थी ने गांव में एलानिया कहॉ कि अब हम जमीन बेचकर रहेगें। अप्रार्थीगण गिरोहबन्द राजनैतिक प्रभाव वाले व्यक्ति है यदि ऐसा कर दिया तो न्याय की गरीमा को ठेस पहुँचेगी। इस प्रकार तहत

डॉ० एस. पी. सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

न्यायालय मे पीठासीन अधिकारी महोदय द्वारा किये गये आचरण से प्रार्थी को अपने प्रकरण में न्याय मिलने की उम्मीद नही है। इसलिए उपजिला कलेक्टर गंगापुर के यहॉ विचाराधीन मामला संख्या दावा संख्या 87/2019 एवं टी.आई प्रार्थना पत्र 51/2019 उनवानी अमर सिंह बनाम जगदीश सिंह को उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के न्यायालय से दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी द्वारा उक्त मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निराधार एवं झूंठे तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है। क्योकि उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के न्यायालय मे जैरकार प्रकरण संख्या 87/19 से संबंधित टी.आई प्रार्थना पत्र संख्या 51/19 अमर सिंह बनाम जगदीश सिंह में प्रार्थी द्वारा दिनांक 29.7.2019 को तहत न्यायालय को गुमराह करते हुए अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली गयी थी। अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा उक्त टी.आई.प्रार्थना पर दिनांक 13.9.2019 को जरिये वकील श्री मोहम्द इस्लाम के जवाब प्रस्तुत बहस सुनने बाबत निवेदन किया गया किन्तु तहत न्यायालय द्वारा शेष अप्रार्थीगणों की तलवी हेतु रजिस्टर्ड सम्मन नोटिस जारी करने के आदेश दिनांक 13.9.2019 को जारी कर पत्रावली वास्ते तलवी दिनांक 20.9.2019 नियत की गयी है। किन्तु प्रार्थी उक्त अन्तरिम स्थगन को बनाये रखना चाहते है एवं प्रकरण के निस्तारण मे दैरीना करने की गरज से यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निराधार एवं झूंठे तथ्यों के आधार पर श्रीमान के न्यायालय मे प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने योग्य होने के कारण प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत मुनतकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने बाबत वकील अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा निवेदन किया गया।

उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी की ओर प्राप्त टिप्पणी में भी पीठासीन अधिकारी द्वारा अंकित किया गया कि प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पीठासीन अधिकारी पर गलत आरोप लगाकर प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र से संबंधित प्रकरण को किसी भी सक्षम न्यायालय मे मुन्तकिल किया जाता है तो पीठासीन अधिकारी को कोई आपत्ति नही है।

वकील उभयपक्षों की और से प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ, कि प्रार्थीगण द्वारा उपजिला कलेक्टर न्यायालय गंगापुर सिटी के पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरापो की पुष्टि वकील प्रार्थी द्वारा किये गये कथन एवं प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर नही होती है। इसके विपरीत वकील अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा किये गये कथन कि प्रार्थी द्वारा उक्त मुन्तकिली प्रार्थना पत्र झूठे तथ्यों के आधार यथा बिना अप्रार्थी की तलवी किये बहस सुनने पर अमादा है का खण्डन अधीनस्थ न्यायालय की प्रस्तुत आदेशिका दिनांक 29.7.2019 से 13.9.2019 से हो जाती है जिसके अनुसार पत्रावली शेष अप्रार्थीगण की तलवी हेतु दिनांक 20.9.2019 को नियत की गयी है । जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा उक्त मुन्तकिली प्रार्थना पत्र महज प्रकरण के निस्तारण में दैरीना करने एवं स्थगन को बनाये रखने की दृष्टि से झूंठे एवं निराधार तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है जिसमे कोई सत्यता नही है। चूंकि प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र से संबंधित प्रकरणों की सुनवायी विधिवत तरीके किया जाना पाया गया है इसलिए उक्त प्रकरणों को दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की आवश्यकता नही है। इसलिए प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र सारहीन प्रतीत होता है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2019 को लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

( डॉ0एस0पी0सिंह )
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2019.12.06 13:27:41 IST
Reason: SelfAttested
Location: